

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : नारायण सिंह चारण, R.A.S.
प्रकरण संख्या 27/2017 (राजस्व अपील) दायर दिनांक 01.12.2017
श्री फोरु पिता नन्दा गुर्जर, निवासी ग्राम नली, प.ह.बहेलिया
तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़
..... अपीलांत
राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार रावतभाटा
तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़
.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश
नायब तहसीलदार, रावतभाटा बमिसल नं. 861/2017 दिनांक 16.10.2017
उपस्थिति:- वकील अपीलांत:- श्री प्रमोद कुमार बिल्लू
रेस्पोडेन्ट की ओर से :- पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 13.07.2018

उपरोक्त अनवान प्रकरण पर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उसी दिन विपक्षी अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत एक माह के साधारण कारावास व जुर्माने की राशि से दण्डित किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, जिस दिन एक पक्षीय कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये उसी दिन आदेश भी पारित कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। विपक्षी अपीलान्ट को योग्य अधिनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त करने हेतु कोई समय नहीं दिया गया है। विपक्षी अपीलान्ट को पेशी का सम्मन प्राप्त हुआ लेकिन विपक्षी बीमार होने के कारण विपक्षी पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका विपक्षी अपीलान्ट अशिक्षित व्यक्ति है तथा विपक्षी अपीलान्ट को एक पक्षीय कार्यवाही होने के आदेश की जानकारी नहीं मिली। सजा जैसा ठोस निर्णय देने से पूर्व विपक्षी अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक था। पटवार हल्का द्वारा पश्चातवर्तीय अतिक्रमण किये जाने का कोई रेकार्ड प्रदर्श नहीं कराया गया तथा विपक्षी अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया तथा प्रथम पेशी पर ही एक पक्षीय कार्यवाही कर सजा जैसा कठोर आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा योग्य अधिनस्थ न्यायालय का दिनांक 16.10.2017 का आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट विपक्षी को जो एक माह की सजा दी है उस आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण को विधिवत दर्ज किया जाकर विपक्षी की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण पर बहस सुनी गई जिसमें वकील अपीलान्ट का कथन है कि प्रार्थी अपीलान्ट बिमार होने से नहीं आया था। एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया गया। सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला। जुर्माना जमा करा दिया गया। सजा निरस्त की जावें। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के संबंध में अभिलेख रेकार्ड पर नहीं लिया गया है एवं न ही स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पर प्रथम पेशी हेतु नियत दिनांक को ही एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई एवं एक पक्षीय कार्यवाही करने की दिनांक को ही आदेश पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर नहीं मिला है एवं प्रथम पेशी दिनांक को ही एक पक्षीय कार्यवाही कर उसी दिन निर्णय पारित कर देना भी विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण पर अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया जाना विधि अनुरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त विवरण एवं तथ्यों के आधार पर नायब तहसीलदार रावतभाटा के निर्णय दिनांक 16.10.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली रहे।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़